राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःएफ.716 सीसी/स्वा.का.पु./2018/174 दिनांक : 24/1/18

आदेश

एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 4408/2016 गिरधारी लाल रावल स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरूष बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय दिनांक 21.04.16 की पालना में निदेशालय के द्वारा जारी आदेश क्रमांकःएफ.716 सीसी/स्वा.का.पु./2017/1614 दिनांक 27.07.17 के द्वारा याचिकाकर्ता गिरधारी लाल रावल स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरूष को नियमित नियुक्ति तिथि से गणना कर 18 एवं 27 वर्षीय सेवा पर क्रमशः 1200–2050/4000–6000 एवं 1640–2900/5500–9000 की संशोधित चयनित वेतन श्रृंखला एवं दिनांक 1.1.2006 से नियमानुसार देय एसीपी एतद् द्वारा वित्त विभाग की सहमति के अध्याधीन स्वीकृत की गई थी।

उक्त आदेश को राज्य सरकार/वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101706679 दिनांक 26.12.2017 एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग की आई.डी. संख्या 2145 दिनांक 28.12.2017 के अनुसरण में अनुमोदित किया जाता है।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

क्रमांकःएफ.716 सीसी/स्वा.का.पु./2018/174 दिनांक : 24/1/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव वित्त (नियम) विभाग राज. जयपुर को उनकी आई.डी. संख्या 101706679 दिनांक 26.12.2017 के क्रम में।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग राज. जयपुर को उनकी आई.डी. संख्या 2145 दिनांक 28.12.2017 के क्रम में।
4. वित्तीय सलाहकार मुख्यालय को वित्त विभाग के आदेश अनुसार प्रकरण में चयनित वेतनमान स्वीकृति में अवधि, वेतन स्थिरीकरण व राशि की गणना वित्त विभाग के नियमों/प्रावधानों के अनुसार की गई है सुनिश्चित करें।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन जयपुर।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर–द्वितीय को प्रेषित कर निर्देश है कि आपके अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारी के प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
7. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
8. संबंधित याचिकाकर्ता को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. प्रभारी सर्वर रूम, कमारा नं. 302, मुख्यालय, को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर